छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 627/2007

1. श्री ज्योतिभूषण गौड़ – *अपीलार्थी*
सचिव, बिलासपुर जिला समाज कल्याण समिति,
तिलक नगर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय संयुक्त संचालक,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
जिला– बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 09 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा मूल प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11.01.2008 का पालन प्रति अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश पर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

2/ प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई करने हेतु उभय पक्ष को आहुत कर उनके तर्कों का श्रवण किया गया। मूल प्रकरण में पारित आदेश में प्रति अपीलार्थी को निर्देशित किया गया था कि उनके द्वारा अभिलेखों की अच्छी तरह खोजबीन की जावे और अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध करायी जावे, परन्तु प्रति अपीलार्थी द्वारा अभिलेखों को ढूंढ़ने के लिए किये गये प्रयासों के संबंध में संतोषप्रद तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये। अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी प्रति अपीलार्थी विभाग द्वारा अशासकीय संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान से संबंधित है, अतः प्रति अपीलार्थी को निर्देशित किया गया था कि उक्त जानकारी विभाग के कैश बुक, लेजर, आडिट रिपोर्ट आदि को देखकर दी जावे, किन्तु प्रति अपीलार्थी द्वारा इस निर्देश का पालन हेतु भी कोई प्रयास नहीं किये। प्रति अपीलार्थी विभाग में विनिष्टीकरण पंजी में भी अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी से संबंधित अभिलेखों को नष्ट किये जाने का उल्लेख नहीं है। मूल प्रकरण के आदेश पत्रक दिनांक 27.10.2007 में प्रति अपीलार्थी को निर्देश दिये गये थे कि जानकारी से संबंधित अभिलेख यदि गुम हो गये हो तो त्रुटिकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही कर, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी जावे, किन्तु प्रति अपीलार्थी द्वारा भी उक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

3/ आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का प्रति अपीलार्थी द्वारा पालन नहीं किया जाना यह प्रदर्शित करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदनों के प्रति उनका रूख काफी उदासीन है तथा विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। अतः संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि मूल प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11.01.2008 का पालन कराते हुए अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी संबंधी अभिलेख यदि गुम हो गया हो तो तत्संबंधी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी जावे तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। साथ ही विभाग में अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने एवं उनकी सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध किया जावे। प्रकरण में संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा एक माह के अन्दर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन भी आयोग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत विभाग एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को सूचनार्थ भेजी जावे।

4/ उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com